परिपत्र संख्या-डीजी-40/2014

ए0एल0 बनर्जी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः जून 9, 2014

प्रिय महोदय,

प्रदेश के अधिकतर जनपदों में लोग, विशेषकर युवा, जुएँ की बुरी आदत में लिप्त होते जा रहे है। जुआँ हमारे समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है। यह आज गरीब से लेकर सम्पन्न परिवारों को उजाड़ रहा है और इंसानों की जिन्दगी को समाप्त कर रहा है। जुआँ व सट्टा आज आधुनिक तरीके से लेकर पुराने तरीकों मे खेला जा रहा है।

आप अवगत है कि जुएँ में लिप्त युवाओं की इस बुरी लत का फायदा उठाकर रसूखदार लोग जुआँ अड्डे चलवाते है तथा जुआँ के आदी व्यक्ति को पैसे देकर ऊँची दर पर ब्याज वसूलते है। पैसे को जुआँ में हार जाने की स्थिति में पैसा न अदा करने के कारण अधिकांश युवा या तो आत्महत्या कर लेते है अथवा अपना घर छोड़कर अन्य शहर में जाकर ठिकाना बना लेते है। आज सामान्य जगह से लेकर होटल, फार्महाऊस जुआँ/सट्टों की ऐशगाह बने हुए है। आम आदमी इसके मोह में फंसकर अपना घर परिवार बर्बाद कर रहा है। जन-मानस की गाढ़ी कमाई जुआँ/सट्टे के बहाने छीनी जा रही है। धनाड्य बनने का लालच लोगों को खोखला कर रहा है। विशेषरूप से इस कार्य को संचालित करने वाले, उनके समर्थकों द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से गरीब का उत्पीड़न जोर जबरदस्ती एवं धन उगाही आदि से किया जाता है।

कुछ जनपदों में साहूकारों से गरीब व निर्बल वर्ग के लोगों के द्वारा लिए गये ऋण के कारण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काफी उत्पीड़न किये जाने की घटनायें प्रकाश में आ रही है। साहूकार से लिए गये ऋण की धनराशि से कई गुना अधिक धनराशि वापस कर देने के बाद भी गरीब व्यक्ति ऋण से मुक्त नहीं हो पाते है। इस कुप्रथा को समाप्त किये जाने हेतु पूर्व में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा **परिपत्र संख्याः-88/2008 दिनांक 13.09.2008 (प्रति संलग्न)** निर्गत कर **"उ0प्र0 रेगुलेशन ऑफ मनी लैंडिंग ऐक्ट-1976"** में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

आप सहमत होंगे कि इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए सर्वाधिक जवाबदेही जनपद प्रभारी/क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी की है। जुआँ से सम्बन्धित सूचनाओं का थाना स्तर से अपेक्षित महत्व प्रदान नही किया जाता है जबकि ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं के संग्रहण की आवश्यकता होती है। क्योकि प्रायः देखा गया है, कि पूर्व सूचनाओं का अभिलेखीकरण नहीं किया जाता है। यह आवश्यक है कि पूर्व में प्रचलित प्रणाली को मजबूत किया जाय। अवैध जुआघरों आदि के संचालन पर अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नानुसार नियमित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता हैः-

- गोपनीय एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं के संग्रह हेतु थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका होती है। किन्तु अब इस पुस्तिका में गोपनीय सूचनाओं को प्रविष्टि करना लगभग बन्द सा कर दिया गया है और थानाध्यक्ष अपने स्थानान्तरण के बाद इसे मात्र खानापूर्ति कर अपने कर्तव्य की इति श्री समझ लेते है। इसे विकसित किया जाय तथा ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्रविष्टि निरन्तर की जाय। आवश्यक है कि थानाध्यक्ष भी इसे नियमित रूप से उपयोगी एवं सही सूचनाओं का संकलन करते रहें। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थाने के भ्रमण के दौरान इस पुस्तिका का अवश्य निरीक्षण कर लें।

- बीट सूचना रजिस्टर में इन्द्राज व इस पर कार्यवाही एक उपेक्षित कर्तव्य सा हो गया है जबकि अधिकाधिक बीट सूचनाओं का संग्रह तथा उन पर प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही न केवल अपराध निरोध में अपनी भूमिका अदा करती है बल्कि इसके द्वारा महत्वपूर्ण आपराधिक एवं अन्य सूचनाओं का संग्रह होता रहता है जो कालान्तर में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही हेतु साक्ष्य भी बनता है। क्षेत्राधिकारी इस बिन्दु पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अच्छी सूचनाओं का अंकन कराने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन प्रदान कर क्षेत्राधिकारी अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को सबल बना सकने में अवश्य सफल हो सकेंगें।
- अवैध जुआँ के अड्डों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थों के साथ एक कार्य योजना बनाकर थोड़े-थोड़े समय के अन्तराल में जुआँ अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करें।
- पूर्व के अवैध जुआँ अड्डों के संचालकों के विरूद्ध पंजीकृत हुए अभियोगों में आवश्यकतानुसार गैंगस्टर ऐक्ट व गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही भी अमल में लायी जायें।
- अवैध जुआँ अड्डों को चिन्हित करे व इसके संचालनकर्ता के विरूद्ध ठोस साक्ष्य के आधार पर अधिनियम के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही भी करें।
- जनपद में अवैध जुआँ अड्डों के संचालन की रोकथाम हेतु थाने के प्रत्येक गांव में महिलाओं के नेतृत्व में जुआँ रोको समिति बनायी जाय तथा ग्राम प्रधान व अन्य सदस्य उसमें शामिल किये जाये जो पुलिस को जुआँ होने पर तुरन्त सूचना दें। प्रत्येक गांव में थाने के सी.यू.जी. नम्बर व जनपद नियन्त्रण कक्ष के 100 नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के मोहल्लों में कार्यवाही अमल में लायी जाय।
- अवैध जुआँ अड्डे के संचालन की सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को संज्ञानित करने के उपरान्त दबिश की कार्यवाही की जाय। बड़े जुआँ के अड्डे पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में ही दबिस की कार्यवाही की जाय।
- अवैध जुएँ के अड्डों को निषिद्ध किये जाने हेतु दिनांक 16.06.2014 से 30.06.2014 तक 15 दिवस का सघन अभियान चलाकर कार्यवाही अमल में लायी जाय। कृत कार्यवाही का अनुश्रवण निम्न प्रारूप में जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जाय। जोनल पुलिस महानिरीक्षक कार्यवाही की दैनिक सूचना निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध करायें। अभियान की समाप्ति पर **सम्पूर्ण अभियान अवधि की सूचना दिनांक 02.07.2014** को मुख्यालय को प्रेषित की जाय।

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	अवैध जुआँ अड्डों पर दी गयी दबिश की संख्या	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	बरामद धनराशि	अन्य बरामदगी	पूर्व के अभियोगों में की गयी गैंगस्टर व गुण्डा ऐक्ट की कार्यवाही की संख्या	साहूकारी अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आप से अपेक्षा है कि इस पत्र में अंकित सभी बिन्दुओं का गहरायी से अध्ययन कर लें और अपने अधीनस्त नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारियों/थानाध्यक्षों व पुलिस कर्मियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत करते हुए उनकी इस कार्य में सहभागिता निर्धारित कर दें।

मुझे विश्वास है कि इसके प्रति आप अपनी प्रतिबद्धता, परिश्रम एवं उत्तरदायित्व का पूर्ण प्रदर्शन कर वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल होगें।

संलग्नकःयथोपरिं।

भवदीय

07/04/14

(आनन्द लाल बनर्जी)

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0,(नाम से)।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0,(नाम से)।
समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद,(नाम से)
उ0प्र0।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

परिपत्र संख्या:डीजी-88/2008 दिनांक:लखनऊ: सितम्बर 13 2008

सेवामें,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रदेश के कई जनपदों में कुछ साहूकारों से गरीब व निर्बल वर्ग के लोगों के द्वारा लिये गये ऋण के कारण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काफी उत्पीड़न किये जाने की घटनाएं प्रकाश में आ रही है। साहूकार से लिये गये ऋण की धनराशि से कई गुना अधिक धनराशि वापस कर देने के बाद भी गरीब व्यक्ति ऋण से मुक्त नही हो पाते है। फलस्वरूप उसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़न होता है। कभी - कभी गरीब व्यक्ति ऋण के बदले अपनी भूमि/ भवन से भी बंचित हो जाता है। ऐसे कतिपय मामलों में स्थानीय पुलिस द्वारा संवेदनहीनता का परिचय दिये जाने की बात भी संज्ञान में आई है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नही है।

2. आप अवगत हांगें कि साहूकारी को नियत्रित करने हेतु प्रदेश में "उ0प्र0रेगुलेशन आफ मनी लेन्डिग ऐक्ट-1976" लागू है। इस अधिनियम (यू0पी0 ऐक्ट नं0 13 वर्ष 2008 द्वारा किये गये संशोधन सहित) के कुछ महत्वपूर्ण प्राविधान निम्नवत् है:-

1. साहूकार का पंजीयन आवश्यक (धारा-7)
2. बिना पंजीयन के साहूकारी करना दण्डनीय (धारा-10)
3. ऋण का अधिकतम ब्याज दर निर्धारण (धारा-12)
4. साहूकार के कर्तव्य (धारा-13)
5. ऋण प्राप्तकर्ता के कर्तव्य (धारा-13 ए)
6. साहूकार द्वारा जमा कराये गये धनराशि का निर्धारित अंश को तरल सम्पत्ति (Liquid Assets) के रूप में रखने की अनिवार्यता (धारा-11)
7. धारा-10, 11 व 13 के उल्लंघन पर तीन वर्ष तक के कारावास तथा कम से कम रू0 5000/- का न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड (धारा-22)
8. मा0 न्यायालय द्वारा इस अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों का संज्ञान लिये जाने के पूर्व रजिस्ट्रार की स्वीकृति(sanction)आवश्यक (धारा-22(3))
9. ऋण प्राप्तकर्ता को परेशान करने एवं परेशान करने के लिए प्रेरित करने पर 3 वर्ष तक के कारावास और कम से कम रू0 5000/- का अर्थदण्ड (धारा-23(1))

10. धारा-23(1) में दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे। (धारा-23(2))

11. अपराधों के शमन करना (compounding) का (धारा-25)

3. आप सहमत होंगे कि साहूकारी के नियंत्रण हेतु प्रदेश में यह विशिष्ट अधिनियम (उ0प्र0रेगुलेशन आफ मनी लेन्डिग ऐक्ट-1976) लागू है। इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3-3 (2)/70, 10 अगस्त, 1976 उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1976) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विभिन्न जनपदों में अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालक अथवा उनके नियुक्त न होने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) अथवा इन दोनों के नियुक्त न होने पर प्रत्येक वित्त और राजस्व अधिकारी को जिले के लिये "साहूकारी रजिस्ट्रार" नामित किया गया है। इसी प्रकार समस्त परगना अधिकारी अपने परगना के लिये साहूकारी उप रजिस्ट्रार और सभी तहसीलदार अपने तहसील के लिये साहूकारी सहायक रजिस्ट्रार नामित है।

4. साहूकारों, उनके समर्थकों, आदि द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से गरीब व्यक्तियों के उत्पीड़न, जोर-जबर्दस्ती, धन उगाही, मारपीट आदि किये जाने पर संबंधित घटना के हालात और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता या प्रदेश में लागू अन्य अधिनियमों के सुसंगत धाराओं को भी अपराध पंजीयन के समय लगाया जा सकता है और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्षता से विवेचना करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही तत्परता से होनी चाहिए।

इस अधिनियम और इससे संबंधित नियमों का अनुपालन कराना और गरीब व्यक्ति का उत्पीड़न न होने देना प्रदेश पुलिस का प्रमुख कर्तव्य है। अतः आप इस अधिनियम के प्राविधानों से कृपया स्वयं तथा जनपद के सभी अन्य राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों को अवगत करा दें। यह सुनिश्चित करें कि जनपद में इस अधिनियिम के प्राविधानों के अनुरूप साहूकारी कार्य हो।

कृपया उपरोक्त निर्देशों को जनपद के सभी संबंधित को अवगत कराते हुए उन्हें अपने स्तर से निर्देशित करें ताकि गरीब व निर्बल वर्ग के लोगों का अनावश्यक उत्पीड़न न हो और उन्हें आवश्यक सुरक्षा मिल सके।

(विक्रम सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।

2.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।